रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18082022-238170
CG-DL-E-18082022-238170

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3706] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 18, 2022/श्रावण 27, 1944
No. 3706] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 18, 2022/SHRAVANA 27, 1944

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2022

का.आ. 3880(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि यह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, पूरे रबड़ और पूरे पॉलीमेरिक सामग्री और इनके घटकों से निर्मित फुटवेयर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थातः-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पूरे रबड़ और पूरे पॉलीमेरिक सामग्री और इनके घटकों से निर्मित फुटवेयर (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2022 है ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा ।

2. पूरे रबड़ और पूरे पॉलीमेरिक सामग्री और इनके घटकों से निर्मित फुटवेयर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 में, पैरा 2 में, परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक को अंतः स्थापित किया जाएगा , अर्थात:-

"परंतु यह और कि इस आदेश में कोई बात समय - समय पर यथा संशोधित सूक्ष्म, लघु और मध्यम ऊद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 7 में यथा परिभाषित सूक्ष्म और लघु विनिर्माण इकाइयों पर लागू नहीं होगी।"

[फा. सं. पी-27025/4/2020-चमड़ा]

राजीव सिंह ठाकुर, अपर सचिव

टिप्पण :- मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) का.आ. 2600 (अ), दिनांक 03 जून, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 11th August, 2022

S.O. 3880(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order to amend the Footwear Made from all Rubber and all Polymeric Material and its Components (Quality Control) Order, 2022, namely: -

1. (1) This Order may be called the Footwear Made from all Rubber and all Polymeric Material and its Components (Quality Control) Amendment Order, 2022.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

2. In the Footwear Made from all Rubber and all Polymeric Material and its Components (Quality Control) Order, 2022, in Paragraph 2, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that nothing in this Order shall apply to micro and small manufacturing units as defined in section 7 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), as amended from time to time."

[F. No. P-27025/4/2020 - Leather]

RAJEEV SINGH THAKUR, Addl. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2600 (E), dated 3rd June, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.08.18 17:18:23 +05'30'